

(40) (25)

[To be published in Gazette of India,
Part II-Section 3-Sub-section (i)]

No.K-20014/5/2002-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi.
Dated the 13th July, 2004

Notification

G.S.R. No. _____ In exercise of powers conferred by Rule 2(1) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under:

S. No.	Category of Land	Approved pre-determined rates for Rohini Phase III for the year 2003-2004 (per sqm.)	Approved pre-determined rates for Rohini Phase III for the year 2004-2005 (per sqm.)
1.	Rohini Plots		
	(a) EWS 26 sqm.	Rs. 3285.00	Rs. 3450.00
	(b) LIG 32 sqm.	Rs. 4090.00	Rs. 4295.00
	(c) LIG 48 sqm.	Rs. 4895.00	Rs. 5140.00
	(d) MIG 60 sqm.	Rs. 6505.00	Rs. 6831.00
	(e) MIG 90 sqm.	Rs. 7310.00	Rs. 7676.00
(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)			
2.	DDA Housing Schemes		
	(a) LIG	Rs. 2416.00	Rs. 2537.00
	(b) MIG	Rs. 4026.00	Rs. 4228.00
	(c) SFS	Rs. 4831.00	Rs. 5073.00
(cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)			
3.	Alternative Plots	Rs. 4090.00	Rs. 4295.00
		(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)	
4.	H Squatters (Resettlement)	Rs. 20.50 lakh per acre	Rs. 20.50 lakh per acre
		(excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Dept. of MCD)	

These rates are effective for the financial years 2003-2004 and 2004-2005 respectively.

(Nisha Singh)
Director

To
The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064

-१२-

(19) (25) (4)

(भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

सं० के-20014/5/2002-डीडी।ए

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)


निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 13 जुलाई, 2004

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं..... दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विभिन्न उपयोगों के लिए प्रभार्य पूर्व-निर्धारित दरें एतद्वारा इस प्रकार अधिसूचित करती है :-

क्र. सं.	भूमि श्रेणी	वर्ष 2003-04 के लिए रोहिणी फेज-III हेतु अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी०)	वर्ष 2004-05 के लिए रोहिणी फेज-III हेतु अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी०)
1	रोहिणी प्लॉट		
	(क) ईडब्ल्यूएस 26 व०मी०	3285.00 ₹	3450.00 ₹
	(ख) एलआईजी 32 व०मी०	4090.00 ₹	4295.00 ₹
	(ग) एलआईजी 48 व०मी०	4895.00 ₹	5140.00 ₹
	(घ) एमआईजी 60 व०मी०	6505.00 ₹	6831.00 ₹
	(ङ) एमआईजी 90 व०मी०	7310.00 ₹	7676.00 ₹
		(आंतरिक विकास की लागत और उपयोग तथा अधिभोग प्रभार सहित)	
2	दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजनाएं		
	(क) एलआईजी	2416.00 ₹	2537.00 ₹
	(ख) एमआईजी	4026.00 ₹	4228.00 ₹
	(ग) एसएफएस	4831.00 ₹	5073.00 ₹
		(फ्लैटों का बिक्री मूल्य निर्धारित करते समय आंतरिक विकास की लागत जोड़ी जानी है)	
3	वैकल्पिक प्लॉट	4090.00 ₹	4295.00 ₹
		(आंतरिक विकास की लागत और उपयोग तथा अधिभोग प्रभार सहित)	
4	झुग्गी-झोपड़ी (पुनर्बासाव)	20.50 लाख ₹ प्रति एकड़	20.50 लाख ₹ प्रति एकड़
		(दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग द्वारा किए जाने वाले आंतरिक विकास की दरें इसमें सम्मिलित नहीं हैं)	

ये दरें क्रमशः वित्त वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए लागू हैं ।


(निशा सिंह)
निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली -110064